

उपखलप खा. वताम गनी खां उर्फ अखुल गनी खां दावा



दिनांक
4.9.25

आज्ञा पत्र
अपील नोट प्रेस में खारिज करवाया गया।

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त ने उपस्थित होकर जहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने अपील अपीलान्त से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये। वो अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फौजदारी मुकदमा नम्बर से कम होकर बाद तरताब तकनीक दाखिल दफ्तर है।

मु. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील
कम्प्लेंट
कम्प्लेंट
आगे 10
यु. 115-य
1) प्रो. प्रो.
अ. 115-य
प. 115-य
4.9.25